

100

卷之三

卷之三

5-570-5126-2

三

t. Lippmann

मालवीय विजय का विवरण

3340, 1953]

वाराणसी रोजगार एवं गरीबी

त्रिमूलेन कार्यद्रव्या विभाग।

लघुनक : दिनांक : २१ अप्रैल, २०१५

विषय:- दितीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-४३ के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुमूलिक जाति-
बाहुल्य वासेतर्वां सभ्या नगरीय मण्डिन बहितर्याँ में आसरा योजनान्तर्गत इन सीट्र आवासों की ०१
परियोजना की वित्तीय रक्कीकरिते।

四百三

उपर्युक्त निष्पाक आपके पत्र संख्या-1018/179/10/छ./विविध/आसरा/तकनीकी (हमीरपुर-सरीला-301) दिनांक 12 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति-यातुल्य बहिरार्थी तथा नगरीय मतिग बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-33 में निम्नसिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-हमीरपुर की जिकाय-सरीला की 138 इन-सौंदू आकारों की 01 परियोजना हेतु रु0 701.99 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्थौरूति सहित, 34त के सापेक्ष तालिका के स्तरभ-7 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि 350.995 लाख (स्पष्ट तीन करोड़ पचास लाख नियान्दे हजार पाँच सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्थौरूति प्रदान करते हैं:-

(भारतीय लाभ २० शे)


(चन्द्रपर्वा लाख ८० क.)						
क्र.सं.	जलधारा/निकाय वा. नाम	कुल आवासीय क्षेत्र	परियोजना की कुल अवस्थापना सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों लाभार्थियों के आवासीय की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों परियोजना की मुद्रा सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतीकृत) के रूप में स्वीकृत की जाए वाली धनदायी (संचय चार्ज एवं लेपर से ८० सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	टीवीरपुर/ सरीका	301	1531.16	138	701.99	350.995

- उक्त धनराशि का व्यय आसारा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश लियका शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर,2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/दबावस्था का पूर्णरूपेण अनुपालग्न सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
 - प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका छण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तार-313 में वर्णित दबावस्था के अनुसार प्रायोजना पर सहाम स्तर से तकनीकी स्पीकृति अपरद्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा संक्षम फ्लूटर से तकनीकी स्पीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्र० ५४ फ॒र्वा॑ सद्गम स्तुति से त

३. उक्त धनराशि के लिए वह जीवन के आवश्यकताओं का दृष्टिकोण से अधिकारीय/सामाजिक व्यक्ति के द्वारा दूल्हन बनाना चाहता है। इसे भी विषमानुग्रह समाज का विवरण के अन्तर्गत दृष्टिकोण से जीवन के लिए वह उक्त धनराशि के उपलब्धता की निर्णायक क्षमता माना जाता है।
४. उक्त धनराशि की जीवन/प्रकार ने उक्त धन के लिए प्रभाव/संवेदनीय स्थिरता को दृष्टिकोण से जीवन के अधिक उपयुक्ततानुसार विहित बना दी जायेगी। याकौनीकी विवरण में मानविकृत दृष्टिकोण, आत्मविवर एवं भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमोदन नहीं होता।
५. उक्त धनराशि वित्त कार्ड/मद ने रखीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद ने दिया जायेगा। जागती/उक्त धनराशि का क्षय विस्तीर्ण नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रायोजनावाले पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एवं वेशन अनुसार नहीं होगा।
६. सूड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व भी राज्य सरकार अथवा लोकती भवन योगी ने धनराशि रखीकृत नहीं की गयी है तथा जहाँ ही यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ने समिति की है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिवर्त्य के अन्तर्गत हीमो एवं कार्पो जो द्विराशि/पुनराशि जो नोडो सूड़ा/इडा द्वारा आपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
७. प्रायोजनावाले वाहू उक्त धनराशि परिवर्त्य जैसे वापे कार्य बढ़ावा, कार्यों के आकार/विवरण जैसे हादि एवं अन्य विशिष्टियाँ इसका समान करता हैं तथा उत्तरांश, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। इनके उत्तिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीजी नवीकृति किरण लर्नो के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रांतेशन से अधिक रुपों होती हैं तो इस विधि में पुनराशि का आवास वाद में पूनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
८. जिमान फर्द आवास जारी के पूर्व इन सोट्र आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
९. सूड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आवास योजनावाले आवासों के विमान से ग्राविटेप्ट मजलीकीरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
१०. उक्त धनराशि बैंक के जारीयन से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित हड्डा द्वारा प्रायोजना सम्बन्धी रूपी परियादी का सकास स्तरीय निराकरण कराकर शुणात्ता आदि विनाई सीहेस यथार्थकोत गोपनीय विधि के अनुदान पर आशयरत होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/इडा का आध्यात्म से विमान इकड़े को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर उत्तमता ही होती है।
११. उक्त धनराशि का आहरण निवेदक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०४०, सख्नऊ द्वारा प्रभुव्य सचिव/सचिव अधिकारी विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नयन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्तानरोपण विभाग द्वारा जायेगा।
१२. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेधाकार (तात्काल), मध्यलेधाकार (लेखा), ३०४०, इत्तहावाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का गाम, वापर संख्या, लिंगे तथा सेखा शीर्षक को सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
१३. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०ए०००० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथाविधि केन्द्र व राज्य के कर्तों की स्वीत की कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्धी के अनुपालन का प्रयान रखा जायेगा।


14. हर योगी के उपर्युक्त निम्न लिस्टेप वर्ष 2015-16 में योगी को द्वारा दिए गए अनुबंध तथा उसके संगत आंतरिक प्रणाली/गुणवत्ता के संदर्भ में इनके अनुभव तथा उनके अनुभव को सम्बन्ध से आवश्यक कराया जायेगा तदोपरांत योगी ये उपरोक्त निम्न किसी के द्वारा अनुबंध की जातियों विशेषित अवधि के बाद अनुभवों के अनुभव योगी द्वारा दिए गए अनुबंध को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, सर्वज्ञ नगरीय विकास अभियान, ३०५०, जोगीक आहरण को वापस्त पर आवश्यक का जिताव भावानेयाकार के कार्योत्तम के लिए से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था अवमुक्त रखने से पूर्ण अनुबंध (एम०ओ०य०) विषयादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित दृढ़ा को निर्दिष्ट फिरा जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आवारण, भारत सरकार, संघ सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० हेतु विशेषित व्यवस्थानुसार फैलत अनुसुचित जाति के लिए ही फिरा जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आवश्यक जै अनुमति तंत्र अ-३१ अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-०२-शहरी आवास-७८० अनुमति जातियों के लिए विशेष घटक योजना-०३-आसरा योजना (आवासीय अवल)-२४-युहूद निर्माण कार्य।" के जाता जायेगा।
3. यह आदेश पितृ विभाग के अशा० संख्या-ई-४-२२८४/दस-२०१५ दिनांक १४ अगस्त, २०१५ में प्राप्त अन्वयी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भावी,

 (एच०पी० सिंह)
 दिशेप सचिव/१

संख्या-१८०/२०१५/१५४३(१)/६९-१-१५, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ संघ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. भावानेयाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०५०,२० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०५०, छठवां तल, रांगम प्लेट, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुक्ति कार्यक्रम विभाग, ३०५० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, हनीरापुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०५० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, ३०५० शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, ३०५०, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जयाहर अवल, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०५०, लखनऊ।
10. सहायक वेद मास्टर, सूडा को विभागीय वेद साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायता/बजट समन्वयक।

भाजा है,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।